न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :— कविता गोदारा, आर0ए0एस0

वाद सं :: 106 / 2025
जी0सी0एम0एस0नं0 :: 2025 / 207

मोहरी देवी माधव शिक्षा समिति रानोली जरिये अध्यक्ष छिगनलाल यादव उम्र 46 साल पुत्र स्व0 श्री धन्नाराम जाति यादव। अहीर। नि0 जाजम की ढाणी रामसिंहपुरा तन शिश्यू तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर। राज0 ।

वादी,

बनाम

1. दलिप कुमारपुत्र गणपत सिंह डोरवाल जाति जाट नि0 कटराथल तहसील व जिला सीकर।राज0।
2. श्राजकुमार पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट नि0 वरसिंहपुरा तह0 खण्डेला जिला सीकर ।राज0।
3. महेन्द्र सिंह बाजिया पुत्र रिछपाल जाति जाट नि0 1605 रेल्वे स्टेशन के पास फन्टेन्मेंट नांगलराया दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली 110046
4. सहदेव चाहर पुत्र जेसराज जाति जाट नि0 सुठोट फागलवा तहसील नेछवा जिला सीकर।
5. गंगाराम पुत्र बेगाराम जाति माली।
6. मंजूदेवी पुत्री बेगाराम जाति माली।
7. मनोज पुत्र बेगाराम जाति माली।
8. केशनमल पुत्र चन्द्रा जाति माली।
9. गोपाल पुत्र चन्द्रराम जाति माली।
10. प्रभातीलाल पुत्र चन्द्रा जाति माली।
11. लच्छी देवी पत्नी मांगीलाल जाति माली।
12. विनोद कुमार पुत्र मांगीलाल जाति माली।
13. संजू देवी पुत्री मांगीलाल समस्त जाति माली निवासीगण वालाकाली ढाणी रानोली तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर। राज0।
14. भूमिधारक तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ़ व जिला सीकर ।राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—1. श्री छगन सिंह गुर्जर, वकील वादी की ओर से।
2. ,,गोपाल लाल गुर्जर ,प्रति0सं0 1 व 4 की ओर से।
3. ,, सुरेश कुमावत ,प्रति0सं0 5,7 ता 10 व 12 की ओर से।

दावा बावत वंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा
53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :: 22.07.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रति0सं0 1 से 13 के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम रानोली प0ह0, रानोली भू0अ0नि0 क्षेत्र रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थिति कृषि भूमि ख0नं0 145 रकबा 1.7200 है0 है। वादग्रस्त भूमि में वादी का

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

हिस्सा 7/24, प्रति0सं0 1 का हिस्सा 1/12, प्रति0सं0 2 का 1/12 प्रति0सं0 3 का 1/15 प्रति0सं0 4 का 1/10 है व प्रति0सं0 5 का 1/72 प्रति0सं0 6 का हिस्सा 1/72 प्रति0सं0 7 का 1/72 प्रति0सं0 8 का 1/12 प्रति0सं0 9 का 1/12, प्रति0सं0 10 का 1/12 प्रति0सं0 11 का 1/54 प्रति0सं0 12 का 5/108 प्रति0सं0 13 का 1/54 हक हिस्सा एंव कब्जा काश्त है तथा इसी प्रकार सभी खातेदारों का हिस्सा प्रत्येक का अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में अंकित है। वाद के पैरा सं0 1 में वर्णित आराजी का वादी व प्रतिवादीगण ने अपने–अपने हक हिस्से के अनुसार बाहमी बंटवारा कर रखा है। प्रति0सं0 1 ता 13 पिछले कई दिनों से राजीरजा कृषि भूमि का मौके पर बंटवारा कर अलग से खसरा नंबर कायम करवाने का आश्वासन दे रखा था और कहने पर कहते है कि कृषि भूमि का भौतिक रूप से तो विभाजन हो रखा है। शीघ्र ही राजीरजा विधिवत रूप से बंटवारा करवा लेगें। लेकिन अव 10.07.24 को प्रति0सं0 1 ता 13 राजीरजा बंटवारा करवाने से स्पष्ट इंकार हो गये इसलिए वादग्रस्त भूमियों का बाई मिट्स एंड बाउण्डस बंटवारा किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। वादी ने वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 12 की उप मद क,ख,ग अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 व 4 व प्रति0सं0 5, 7 ता 10 व 12 जरिये वकील उपस्थित आए। प्रति0सं0 6, 11, 13, 14 की जरिये रजि0 डाक द्वारा तामील हो चुकी है,लेकिन हाजिर नहीं आए। वकील उभय पक्ष के निवेदन पर प्रकरण में दिनांक 22.11.24 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव चाहे जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़ ने जरिये पत्रांक भू0अ0/2025/2427 दिनांक 21.05.2025 से बंटवारा प्रस्ताव भिजवाये जो शामिल पत्रावली किये गये।

वहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वहस के दौरान वकील वादी एंव प्रति0सं0 1 ता 4 द्वारा तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा जरिये पत्र कमांक भू0अ0/ 2025/2427 दिनांक 21.05.2025 के द्वारा भिजवाये गये बंटवारा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया गया एंव वकील प्रति0सं0 5 व 7 ता 10, 12 द्वारा मौखिक आपत्ति दर्ज कराते हुए तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा भिजवाये गये बंटवारा प्रस्ताव को निरस्त कर पुनः तहसीलदार,दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमियां संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमिया है तथा पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से के अनुसार बाहमी बंटवारा कर अपनी भूमियों पर काबिज काश्त है। चूंकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में मुख्य रूप से बंटवारा का अनुतोष चाहा गया है। वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार चले आ रहे है। उसके अनुसार बंटवारा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाह रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार रिकार्डेड खातेदार अपने हिस्से के अनुसार बंटवारा करवाने के हक व अधिकारी है। इसलिए बहस के दौरान वकील प्रति0सं0 5 व 7 ता 10, 12 द्वारा दर्ज़ मौखिक आपत्ति को स्वीकार करना न्यायहित में उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रति0सं0 5 व 7 ता 10, 12 द्वारा दर्ज मौखिक आपत्ति को खारिज करते हुए वाद वादी डिक्री किया जाकर आराजी कृषि भूमि ख0नं0 145 रकबा 1.7200 है0 वाके ग्राम रानोली प0ह0 रानोली तहसील दांतारामगढ़, सीकर में निम्न प्रकार वादी एंव प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैः–

क्र. स.	नाम खातेदार	ख0 नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	मोहरी देवी माधव शिक्षा समिति रानोली	146/1 145/6	0.4583 है0 0.0200 है0		
2.	महेन्द्र सिंह बाजिया पुत्र रिछपाल हिस्सा 4/20 जाति जाट सा0 दिल्ली दलीप कुमार पुत्र गणपत सिंह डोरवाल जाति जाट सा0 कटराथल हि0 5/20 राजकुमार पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट सा0 बरसिंहपुरा तह0 खण्डेला हि0 5/20 सहदेव चाहर पुत्र जेसराज जाति जाट सा0 सुटोट फागलवा हि0 6/20 खातेदार	145/3	0.5466 है0		
3.	मनोज, गंगाराम पुत्रगण बेगाराम, मंजू देवी पुत्री बेगाराम हि0 ब0 जाति माली सा0 देह	145/2	0.0683 है0		
4.	केशरमान, गोपालराम, प्रभातीलाल पुत्रगण चन्द्राराम हि0 लच्छी देवी पत्नि मांगीलाल, विनोद कुमार पुत्र मांगीलाल संजू देवी पुत्री मांगीलाल हि0 जाति माली सा0 देह	145/4	0.5468 है0		
5.	बदस्तुर खातेदार खाता सं0 29	145/5	0.08 है.0		

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

तहसीलदार, दांतारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव पत्रांक भू0अ0/ 2025/2427 दिनांक 21.05.2025 निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

(कविता गोदारा)
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर